न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/16/2023

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2023/33

अपीलार्थी

श्री सौरभ कुमार मीना पुत्र श्री रामकरण मीना,
निवासी–ग्राम–थमावली, तहसील–राजगढ,
जिला–अलवर (राज.)–301408

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 23.01.2023

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 14.02.2023

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 23.01.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर गांव–थमावली, तह0 राजगढ स्थित खतौनी सं. 101/98 पर केस के कब–कब व किस–किस न्यायालय में चलने, निर्णय आदि के संबंध में 04 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक: 22.01.2023 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 313 दिनांक: 02.02.2023 के माध्यम से इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठाकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् व अपील में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी द्वारा ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल पर प्रस्तुत प्रथम सूचना आवेदन सं. 293490057962387 दिनांक: 23.01.2022 के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाईन पत्र सं. 7296337520 दिनांक: 02.02.2023 के माध्यम से वांछित सूचना, विशिष्टिविहीन, सर्च कर उपलब्ध कराने योग्य व सृजनात्मक प्रकृति की होने के कारण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक: 02.02.2009 व उक्त अधिनियम की धारा 7(9) व धारा 2(एफ) के तहत **सूचना की परिभाषा में नहीं होने के कारण देय नहीं है।**
8. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांक: 14.02.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)